प्रेस नोट
जनपद – संतकबीरनगर
दिनाँक 05.01.2026

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप आयुध अधिनियम के मामले में अभियुक्त को जेल में बिताई गई अवधि व न्यायालय उठने तक का कारावास तथा 2000 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में **"ऑपरेशन कनविक्शन"** अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में दिनाँक 02.01.2026 को ***माननीय न्यायालय सि0 जज (जू0डि0) / एफ0टी0सी0 - प्रथम संतकबीरनगर*** द्वारा अभियुक्त को आयुध अधिनियम के मामले में जेल में बिताई गई अवधि व न्यायालय उठने तक का कारावास तथा 2000 रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

विवरणः-

मु0अ0सं0 313/2011 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना महुली जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित अभियुक्त मनीराम पुत्र रामसमुझ निवासी गुनवतिया थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को दिनाँक 22.04.2011 को अवैध शस्त्र के साथ गिरफ्तार किया गया था। अभियुक्त उपरोक्त को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर जेल में बिताई गई अवधि व न्यायालय उठने तक का कारावास तथा 2000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया अर्थदण्ड अदा न करने पर 03 माह के साधारण कारावास का दण्ड भुगतना होगा।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 06 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 04 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 6000 द्वारा ट्रैक्टर व मोटरसाईकिल का आपस में टक्कर हो जाने के कारण दुर्घटना में घायल 01 व्यक्ति को भेजवाया गया अस्पताल– पीआरवी 6000 को थाना धनघटा क्षेत्रांतर्गत संठी से कालर द्वारा ट्रैक्टर और मोटरसाईकिल का आपस में टक्कर हो जाने के कारण दुर्घटना मे घायल 01 व्यक्ति (1.दयालू पुत्र लोदर सा0 कौलपुर थाना मेहंदावल जनपद संतकबीरनगर) के दुर्घटना में घायल हो जाने के सम्बन्ध में सूचना दिया,सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा त्वरित गति से घटनास्थल पर पहुँचकर दुर्घटना में घायल उक्त व्यक्ति को 108 एम्बुलेंस की सहायता से ईलाज हेतु सीएचसी मेहंदावल भेजवाया गया। घटना के सम्बन्ध में थाना मेहंदावल को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व सूझबूझ से घटनास्थल पर तत्परता से पहुँचकर उक्त घायल को ईलाज हेतु सीएचसी मेहंदावल भेजवाया गया। जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।
***पीआरवी स्टाफ-* का0 राहुल पाण्डेय, का0 संतोष यादव, हो०चा0 रामवीर चौधरी।**

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 129 वाहनों से 1,29,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनाँक 05.01.2026 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 129 वाहनों से 1,29,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

“ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप गोवध अधिनियम के मामले में अभियुक्त को न्यायालय उठने तक का कारावास तथा 2050 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित*

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में **“ऑपरेशन कनविक्शन”** अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में दिनाँक 05.01.2026 को ***माननीय न्यायालय एफ0टी0सी0/ए0सी0जे0एम0 संतकबीरनगर*** द्वारा अभियुक्त को गोवध अधिनियम के मामले में न्यायालय उठने तक का कारावास तथा 2050 रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

विवरणः-

मु0अ0सं0 780/2007 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित अभियुक्त रामजतन पुत्र स्व0 कोमल निवासी सिसई(बाघनगर) थाना सहजनवा जनपद गोरखपुर को दिनाँक 22.01.2007 को 03 अदद गोवंशीय पशु के साथ गिरफ्तार किया गया था। अभियुक्त उपरोक्त को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर न्यायालय उठने तक का कारावास तथा 2050 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया अर्थदण्ड अदा न करने पर 03 माह 01 सप्ताह के साधारण कारावास का दण्ड भुगतना होगा।

“ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप चोरी के मामले में अभियुक्त को जेल में बिताई गई अवधि तथा 2000 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में **“ऑपरेशन कनविक्शन”** अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में दिनाँक 05.01.2026 को ***माननीय न्यायालय एफ0टी0सी0/ ए0सी0जे0एम0 संतकबीरनगर*** द्वारा अभियुक्त को चोरी के मामले में जेल में बिताई गई अवधि तथा 2000 रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

विवरणः-

वादी लल्लू पुत्र भुल्लर निवासी लेडुआ थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर द्वारा दिनाँक 12.04.2005 को थान मेंहदावल पर अभियुक्त रामनरायन उर्फ नरायन पुत्र कैलाश तिवारी निवासी विशुनपुर बांगर थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर के विरुद्ध मकान का ताला तोड़कर अनाधिकृत रुप से प्रवेश करने व नकदी तथा जेवर चोरी कर लेने के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 273/2005 धारा 457/380 भा0द0वि0 थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर पंजीकृत कराया गया था। अभियुक्त उपरोक्त को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर जेल में बिताई गई अवधि तथा 2000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया अर्थदण्ड अदा न करने पर 03 माह के साधारण कारावास का दण्ड भुगतना होगा।

मिशन शक्ति 5.0 के तहत जनपदीय पुलिस द्वारा चलाया गया एण्टी रोमियो अभियान

- ***जनपद के समस्त थानों द्वारा 72 स्थानों पर 1702 व्यक्तियों को किया गया चेक ।***
- ***68 शोहदों से माफीनामा भरवाकर हिदायत देते हुए छोड़ा गया ।***
- ***24 शोहदों के विरुद्ध की गयी धारा 126/135/170 BNSS की कार्यवाही ।***
- ***969 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया ।***

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा महिलाओं / बालिकाओं को जागरूक करने हेतु चलाये जा रहे मिशन शक्ति 5.0 अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में जनपद के समस्त थाना क्षेत्र अंतर्गत महिला बीट पुलिस अधिकारियों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर भ्रमण कर प्राथमिकता के आधार पर महिला / बालिकाओं को जागरुक करने के साथ ही उनके समस्याओं के निस्तारण कराने के संबंध में जागरुक किया गया, साथ ही महिलाओं एवं बालिकाओं को वूमेन पॉवर लाइन-1090, पुलिस आपातकालीन सेवा-112, एम्बुलेंस सेवा-108, चाइल्ड लाइन-1098, स्वास्थ्य सेवा-102, महिला हेल्पलाइन-181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन-1076, साइबर अपराधों के बारें में साइबर हेल्पलाइन-1930 आदि कानूनी प्रावधानों एवं उनके अधिकारों इत्यादि के बारें में चर्चा करते हुए शासन द्वारा चलायी जा रही विभिन्न सरकारी योजनाओं के विषय में जानकारी देते हुए पम्पलेट प्रदान कर जागरूक किया जा रहा है । इस दौरान 01. थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस की एण्टी रोमियो टीम द्वारा थानाक्षेत्र में 12 स्थानों पर 305 व्यक्तियों को चेक किया गया, 120 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा, 02 शोहदें के विरुद्ध 126/135/170 BNSS की कार्यवाही की गई व 04 शोहदों से माफीनामा भरवाया गया, 02. थाना दुधारा पुलिस की एण्टी रोमियो टीम द्वारा थानाक्षेत्र में 03 स्थानों पर 192 व्यक्तियों को चेक किया गया, 49 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया, 07 शोहदों से माफीनामा भरवाया गया 03. महिला थाना पुलिस की एण्टी रोमियो टीम द्वारा 05 स्थानों पर 120 व्यक्तियों को चेक किया गया, 80 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया व 06 शोहदों से माफीनामा भरवाया गया 04. थाना धनघटा पुलिस द्वारा थानाक्षेत्र में 14 स्थानों पर 230 व्यक्तियों को चेक किया गया तथा 186 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया, 06 शोहदें के विरुद्ध 126/135/170 BNSS की कार्यवाही की गई व 12 शोहदों से माफीनामा भरवाया गया 05. थाना महुली पुलिस की एण्टी रोमियो टीम द्वारा थानाक्षेत्र में 25 स्थानों पर 320 व्यक्तियों को चेक किया गया, 10 शोहदो के विरुद्ध 126/135/170 BNSS की कार्यवाही की गई व 290 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया तथा 20 शोहदों से माफीनामा भरवाया गया, 06.थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा थानाक्षेत्र में 03 स्थानों पर 160 व्यक्तियों को चेक किया गया, तथा 70 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया, 05 शोहदों से माफीनामा भरवाया गया 07. थाना बखिरा पुलिस द्वारा थानाक्षेत्र में 04 स्थानों पर 140 व्यक्तियों को चेक किया गया, 25 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया, 06 शोहदो के विरुद्ध 126/135/170 BNSS की कार्यवाही की गई तथा 02 शोहदों से माफीनामा भरवाया गया, 08. थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा 04 स्थानों पर बिना वजह घूम रहे 175 व्यक्तियों को चेक करते हुए 95 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया, 06 शोहदों से माफीनामा भरवाया गया, 09. थाना धर्मसिंहवा पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र में 02 स्थानों पर 60 व्यक्तियों को चेक किया गया, 54 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया तथा 06 शोहदों से माफीनामा भरवाया गया ।

मिशन शक्ति 5.0 के तहत जनपदीय पुलिस द्वारा स्टंटबाजी व काली फिल्म वाले चारपहिया वाहनों के विरुद्ध चलाया गया अभियान

- ☐ *मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत जनपद के समस्त थानों द्वारा 71 स्थानों पर 2485 वाहनों को किया गया चेक।*
- ☐ *मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत 106 स्टंटबाजी करने एवं यातायात में बाधा उत्पन्न करने वाले दो पहिया वाहनों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही।*
- ☐ *मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत 05 चार पहिया वाहनों से उतरवायी गयी काली फिल्म।*
- ☐ *मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत 03 चार पहिया वाहनों पर गलत तरीके से लगे नंबर प्लेट पर की गयी कार्यवाही।*
- ☐ *मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत 07 चार पहिया वाहनों पर शासकीय तथा जाति सूचक शब्द लगे होने पर की गयी कार्यवाही।*
- ☐ *मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत 1262 वाहन स्वामियों को दी गयी चेतावनी।*

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा संचालित मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत महिला सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करने व महिलाओं की सुरक्षा तथा सड़क सुरक्षा नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सुशील कुमार सिंह* के मार्गदर्शन क्षेत्राधिकारी यातायात *श्री प्रियम राजशेखर पाण्डेय* के पर्यवेक्षण में आज दिनाँक 05.01.2026 को जनपद के समस्त थाना व प्रभारी यातायात द्वारा सघन चेकिंग अभियान चलाया गया।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य न केवल नियमों का पालन सुनिश्चित करना था, बल्कि आमजन में यातायात नियमों एवं महिला सुरक्षा के प्रति जागरूकता भी उत्पन्न करना है। जनपदीय पुलिस द्वारा यह अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा ताकि नागरिकों में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़े तथा महिलाएं सुरक्षित वातावरण में स्वतंत्र रूप से अपने कार्य कर सकें। इस अभियान का उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना, सड़क सुरक्षा नियमों का पालन कराना एवं कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना है।